बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः–केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख और राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19846.693 लाख (एक अरब अंठानवे करोड़ छियालीस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-I में मुंगेर जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुंगेर नगर निकाय में जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु PHED द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पूरे मुंगेर शहर में जलापूर्ति किये जाने हेतु PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य को छोड़कर शेष जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन राशि ₹19846.693 लाख का है। AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMRUT योजना के अन्तर्गत अबतक 35 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना, 01 FSSM योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल–68 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹247685.372 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें केन्द्रांश की राशि ₹109797.593 लाख की व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। जिसके कारण मुंगेर जलापूर्ति योजना की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख को AMRUT योजना के अधीन और मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन कार्यान्वित किया जाएगा।

मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं जलापूर्ति योजना पार्ट–B के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का Vetting PHED के अभियंता प्रमुख से कराया गया है, ताकि कराये जाने वाले कार्यों का Duplication न हो। मुंगेर शहर में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य निम्नवत हैः–

क्रम सं0	योजना का नाम	PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना	Water Tower-3(454kLX3), Exisiting Pipeline - 28 Km., WTP - 1 (13.6 MLD)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नवत हैं –

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट A (AMRUT योजनान्तर्गत)	Distribution network 318.20 Km., House Service Connection - 26271,
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट B (राज्य योजनान्तर्गत)	Raw Water Rising Main DI-K9 2600m of 600mm dia, Raw Water Pump-(4W+2S) nos. 130HP, (2W+1S) nos, 245 HP Pump, Water Treatment Plant-34 MLD, Over Head Service Reservoirs (OHSR)-5 Nos. (Total capacity 11116kL) Clear water reservoirs-1444kL, Clear water rising main DI-K9-250mm dia lenght-852M, House Service Connection-12650

मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A को AMRUT योजना के अधीन कार्यान्वित किया जाना है इस हेतु AMRUT योजना के अधीन मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित SHPSC एवं लोक वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

2. विकास की गति को बनाये रखने तथा मुंगेर शहर के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि ₹19846.693 लाख (एक अरब अंठानवे करोड़ छियालीस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ रू मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे राष्ट्रीय मानक के अनुसार मुंगेर नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को अगले तीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3. इन जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी बुडको होगा। केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A के कार्यान्वयन हेतु 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

म सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn-3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn-3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A (SAAP-I)	11647.628	1152.122	12799.75	5823.814	3494.288	2329.526	1152.122

राज्य योजना मद की प्राक्कलित राशि का 80% राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन संबंधित नगर निकाय द्वारा और O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र म सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B	6410.65	636.293	7046.943	5128.52	1282.13	636.293

मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में कुल राशि ₹8622.808 लाख (छियासी करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार आठ सौ आठ रू० मात्र) का भार वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

4. यह एक नई योजना है। मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी BUIDCo को राशि ULB/State Nodal Agency, Bihar (BUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B की राशि ULB द्वारा निकासी कर बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार एवं SLNA को BUIDCo द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। BUIDCo राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

5. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–05.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–13 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. अतः केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख और राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19846.693 लाख (एक अरब अंठानवे करोड़ छियालीस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 दिनांक–

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 682 दिनांक– 5/3/19

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (AMRUT), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/संयुक्त सचिव (SBM), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/विशेष सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2019

सरकार के प्रधान सचिव।